



Court case no-506/23.

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

Summons

फाइल सं. NCST/DEV-590/JH/25/2022-ESDW

सेवा में,

श्री गुरदीप सिंह,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
एन. टी. पी. सी. लिमिटेड,
एन. टी. पी. सी. भवन,
स्कोप कॉम्प्लेक्स, इंस्टीटूशनल एरिया,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
ई-मेल: ntpccc@ntpc.co.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष दिनांक 05.06.2023 को 04:00 बजे, आयोग मुख्यालय, 6 वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलों का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. झारखंड राज्य के अंतर्गत हजारीबाग जिले के अंचल केरेडारी के ग्राम नवाडीह में एन. टी. पी. सी. लिमिटेड कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई खाता सं 4,5,6,9, व 20 की भूमि का मुआवजा भूमि के असली मालिकों को दिया जाने के संदर्भ में श्री किसन गंड्यु, ग्राम नौडीहा गोढ़वार, पोस्ट-सराढ़ू, थाना-तंडला, जिला-चतरा, झारखंड की ओर से प्राप्त दिनांक 29.07.2022 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 2: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 01.09.2022.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 29, मई, 2023 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer

National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003

मोहर

